16.04.2021

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांट ने यह अपील उपतहसीलदार भावरी के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 594 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.1983 को निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में पेश किया है। अपीलांट द्वारा यह अपील नामान्तरकरण के विरूद्ध इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम, 1963 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र संख्या 18/2009 में वाद सुनवाई पक्षकारन इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.04.2021 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम 1963 खारिज किया गया है। अतः अपीलांट की यह अपील म्याद बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:19:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner